

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर विश्वाकर्, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 36/2016 G.C.M.S. No. 2016/00492 दर्ज दिनांक : 07.04.2016
अपीलार्थी:

1. जमनादेवी पत्नि गजा, जाति मेघवाल, उम्र बालिग, निवासी पुराडा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्धिगण:

1. शिवलाल पुत्र वरदा, जाति पुरोहित, निवासी पराखिया, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
2. सवाईसिंह पुत्र वरदा के का.सु.—
2/1 भंवरसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र बालिग
2/2 नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र बालिग
2/3 शोभा मोरिया पुत्री सवाईसिंह उम्र बालिग
2/4 प्यारीदेवी पत्नि सवाईसिंह उम्र बालिग, तमाम जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण पराखिया, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
3. शास्दादेवी पत्नि गंगाधर, जाति ब्राह्मण, निवासी सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
4. धन्नाराम पुत्र करताराम, जाति मेघवाल, निवासी नेतरा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
5. भूमिधारी तहसीलदार, सुमेरपुर व जिला पाली।



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा क्रमांक/राजस्व/88/725 में पारित आदेश दिनांक 30.04.1988 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी पैरोकार—

1. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांत।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्ण राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रैस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा क्रमांक/राजस्व/88/725 में पारित आदेश दिनांक 30.04.1988 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शिवलाल पुत्र वरदा पुरोहित निवासी पराखिया नाम के व्यक्ति को नियमानुसार जैर अपीलाधीन आदेश अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उपरोक्त नाम पत्ते का व्यक्ति गांव पराखिया में नहीं

है। इस कारण बेनामी रूप से शिवलाल पुत्र वरदा नमा के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये गये। अपीलाधीन आदेश में वर्णित खातेदारी भूमि के अधिकार शिवलाल पुत्र वरदा को प्रदान किये गये थे, परन्तु भौतिक रूप से सवाईसिंह पुत्र वरदा निवासी पराखिया काबिज है तथा उक्त भूमि का सवाईसिंह ही वर्तमान में उपयोग-उपभोग कर रहा है। शिवलाल नाम से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बाद सवाईसिंह नाम के व्यक्ति द्वारा भूमि का उपयोग व उपभोग किया जा रहा है, जिससे अपीलाधीन आदेश बेनामी होना पुख्ता रूप से साबित है। प्रकरण में आवंटन/नियमन के पूर्व नियमन के समय अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि ओक्यूपाइड भूमि थीं। उपरोक्त भूमि पर अन्य खातेदार कब्जे काश्त में थे तथा उपरोक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे थे। आवंटन/नियमन के लिए उपरोक्त भूमि खाली नहीं थीं। विधिवत रूप से खातेदारी अधिकार प्रदान करने से पूर्व प्रोक्लेमेशन जारी नहीं किया गया, न ही उद्घोषणा जारी की गई। आवंटन नियमों के मूलभूत नियमों की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। साथ ही अपीलाधीन आदेश अनुसार सिर्फ अकेले उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खातेदारी अधिकार पारित किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश बिना कोरम के पारित किया है, जो आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश पारित के समय की जानकारी अपीलाण्ट/प्रार्थी को नहीं थी, अपीलाण्ट/प्रार्थी ने वर्तमान में ही अपीलाधीन आदेश से संबंधित भूमि खरीद की है तथा अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट-प्रार्थी को तंग, परेशान करने की वजह से अपीलाण्ट-प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा अधिवक्ता द्वारा रिकॉर्ड की जानकारी करने के बाद नकल प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद दिनांक 21.03.2016 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त होने पर अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की नकल मिलने के बाद अपील पेश करने हेतु अधिवक्ता से चर्चा करने के बाद तथा अपील तैयारी करने के बाद तुरन्त प्रभाव से अपील पेश की है, यानि अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के तुरन्त बाद अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अपील पेश की है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलाण्ट दर्जा रजिस्ट्रार की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तालब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी बाली द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व/88/725 दिनांक 30.04.1988 द्वारा रेस्पॉडेंट शिवलाल पुत्र वरदाजी के पक्ष में कृषि प्रयोजनार्थ किए गए भूमि आवंटन के विरुद्ध अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 07.04.2016 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन के साथ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांत द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित के समय की जानकारी अपीलाण्ट/प्रार्थी को नहीं थी, अपीलाण्ट/प्रार्थी ने वर्तमान में ही अपीलाधीन आदेश से संबंधित भूमि खरीद की हैं तथा अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पॉडेंट संख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट-प्रार्थी को तंग, परेशान करने की वजह से अपीलाण्ट-प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा अधिवक्ता द्वारा रिकॉर्ड की जानकारी करने के बाद नकल प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद दिनांक 21.03.2016 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त होने पर अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की नकल मिलने के बाद अपील पेश करने हेतु अधिवक्ता से चर्चा करने के बाद तथा अपील तैयारी करने के बाद तुरन्त प्रभाव से अपील पेश की हैं, यानि अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के तुरन्त बाद अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अपील पेश की हैं। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांत अंदर म्याद शुमार फरमावें। साथ ही अपीलांत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांत प्रार्थी अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं थीं तथा अपीलांत प्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांत प्रार्थी आराजी पर वर्तमान में काबिज है। अतः अपीलाधीन आदेश से पीड़ित व प्रभावित पक्ष होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।
3. हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेस्पॉडेंट को कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 30.04.1988 को भूमि आवंटित की गई तथा मौके पर कब्जा सुफुर्द किया गया। अपीलांत द्वारा बतौर काबिज हो जाने मात्र से अपीलांत अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांत को अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का

कोई अधिकार व **Locus Standi** प्राप्त नहीं हैं। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।

4. साथ ही अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश जो दिनांक 30.04.1988 को पारित किया गया, के विरुद्ध दिनांक 07.04.2016 को लगभग 28 वर्ष अर्थात् लगभग 10197 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई तथा विलंब के कारण के रूप में अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि उसे अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.03.2016 को हुई, पूर्णतया भ्रामक, मनगढ़ंत व काल्पनिक कथन है। जो विश्वास योग्य नहीं हैं। अपीलांट द्वारा विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित कारण दर्शाए नहीं किए हैं तथा न ही दिन-प्रतिदिन के विलंब के लिए कोई कारण दर्शाया है। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफीयोग्य नहीं हैं।
5. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the

aforsaid provision cannates that the dismissal is mandatory



subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or referred to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

6. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तागत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तागत प्रकरण में हूबहू चरपा होते हैं। हस्तागत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अविश्वसनीय रूप से 10197 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिग्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रुख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।


7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 10197 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने एवं प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। साथ ही अपीलांत को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से, प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांत परिसीमा आवधि से बाधित होने एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होने इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।



आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति, बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांत अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्मित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर-ए-इजलासा सुनाया गया।


राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली